(4)

न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 13/2016

दायर दिनांकः 22.06.2016

निर्णय दिनांक 21.12.2017

—:अनवानः—

श्रीमती अमरतीदेवपी पत्नी अमरसिंह राजपूत उम्र 80 वर्ष निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,राजसमंद

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ,राजसमंद प्रकरण संख्या 779/2004 नाजायज कब्जा पटवारी हल्का केलवा जरिये सरकार बनाम अमरतीबाई आदेश दिनांकः 28.10.2004

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

अपीलांट ने तहसीलदार,राजसमंद के आदेश दिनांकः 28.10.2004 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम राजस्व अपील दिनांकः 16.06.2016 को दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी हैं।

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध तहसीलदार,राजसमंद के समक्ष यह रिपोर्ट की गयी कि इनके द्वारा ग्राम केलवा स्थित आ0नं0 2518 मिन रकबा 59.13 बीघा चारागाह भूमि में से 5 बिश्वा भूमि पर अनाधिकृत रुप से सम्वत् 2061 में बाड़ा बनाकर अवैध कब्जा कर रखा हैं। अतः इसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 के तहत कार्यवाही कराना फरमावें। तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रावली दर्ज कर अपीलांट/अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांकः 28.10.2004 को अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बैदखली एवं शास्ति रुपैया 38/— आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि उक्त भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं जो कि नियमन योग्य होते हुए भी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अवैध हैं और उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं,यही प्रस्तुत अपील का कारण हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन् सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं।

अपीलांट के द्वारा अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में बताया कि वादग्रस्त बाड़ा भूमि के सम्बंध में की गयी अतिक्रमण की कार्यवाही में प्रथम पेशी पर ही अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार दिया जाना आवश्यक होता हैं। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र दिनांकः 11.01.2008 द्वारा दिनांकः 15.07.1994 तक किये गये अतिक्रमणों की अवधि को बढ़ाकर दिनांकः 01.01.2000 किया गया तत्पश्चात उक्त अवधि को वर्ष 2005 तक बढ़ाया गया और नियमन किये जाने के निर्देश प्रसारित

किये गये हैं जबकि अपीलांट का कृषि प्रयोजन से किया गया अतिक्रमण जो कि वर्ष 1994 के पूर्व को होकर नियमन किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को यदि साक्ष्य,सबूत व सुनवाई हेतु अवसर दिया जाता तो अपीलांट अपने पक्ष के समर्थन में ठोस दस्तावेजी सबूत पेश कर पाता। अपीलांट एक वृद्ध महिला होकर ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला हैं तो बी0पी0एल0 परिवार की होने से भी उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह लाभ दिया जाना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि की तहसीलदार,राजसमंद की पत्रावली के अवलोकन से किस्म चारागाह भूमि हैं। अपीलांट के द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रुप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा बैदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु पारित किया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर उचित आदेश पारित किया हैं। अपीलांट को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य सबूत अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिए था जो कि उसका दायित्व हैं।

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त कथन के खण्डन में प्रतिकथन किया कि अपीलांट एक वृद्ध अनपढ़ ग्रमीण परिवेश की बी0पी0एल0 महिला हैं जिसे इतनी जानकारी नहीं होने से साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर सकी क्योंकि उसे अवसर ही नहीं दिया गया। अब उक्त मामले को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावें ताकि अपीलांट द्वारा नियमन के पक्ष में साक्ष्य,सबूत आदि पेश किया जा सके।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के द्वारा तहसीलदार,राजसमंद के पारित आदेश दिनांकः 28.10.2004 को इस आधार पर चुनोति दी गयी कि अपीलांट का काफी वर्षो पुराना कब्जा होकर नियमन योग्य हैं किन्तु प्रथम पेशी पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया जबकि अपीलांट को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य,सबूत व सुनवाई हेतु प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अवसर दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया गया हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं कि अपीलांट को जारी नोटिस की तामिल होकर नियत पेशी दिनांकः 28.10.2004 को अपीलांट की ओर से उसका देवर श्री डाउसिंह उपस्थित हुआ। अपीलांट का जब काफी वर्षो पुराना कब्जा था तो अपीलांट की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य,सबूत प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो कि उसका दायित्व हैं। अपीलांट की ओर से इस न्यायालय में भी वादग्रस्त भूमि का नियमन किस प्रकार से संभव हैं,इस बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं की गयी हैं। प्रकरण में उल्लेखनीय हैं कि वादग्रस्त भूमि चारागाह किस्म की भूमि हैं और तहसीलदार,राजसमंद द्वारा उक्त भूमि से अपीलांट की बैदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु जो आदेश पारित किया गया है,वह उचित आदेश होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट को निर्देशित किया जाता हैं कि नियमन की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय स्तर से होती हैं। अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियमन हेतु प्रा0पत्र मय साक्ष्य सबूत के पेश करें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 28.10.2004 को यथावत रखा जाता हैं।

(पीएसभाबेरवाल)